

प्रेषक,

सी०एस० गार्डाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत विभिन्न 04 कार्यों हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।
महोदय,

देहरादून - दिनांक 31 अगस्त, 2016

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, सं०का०, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 23.00 किमी० तथा लागत ₹ 348.80 लाख है, पर विभागीय टी०ए०सी० द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण घनराशि ₹ 348.80 लाख (रु० तीन करोड़ अठ्चालीस लाख अस्सी हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् 04 कार्यों हेतु ₹ 0.40 लाख (चालीस हजार मात्र) की घनराशि आपके निर्वर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें गैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (iii)- कार्य पर खतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही घनराशि में वचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- (iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मुख्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- (v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्सीरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गाठते करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन०पी०वी०, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर भूजीगत परियोजना-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/गवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-24 गृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निर्वर्तन पर रखी गयी घनराशि से किया जायेगा।

(17)
(04)- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिकारी अभियन्ता का होगा।

(X)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही वनराशि का व्यय 31-03-2017 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त वनराशि की आवश्यकता होती है उसका व्यय संगत भूद में निवर्तन में स्वी गई वनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(XI) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोक निर्माण विभाग के अनुसूचि-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़क आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 तथा निर्माण कार्य-24 वृद्धत निर्माण कार्य के तहत किया जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अरासकीय संख्या 382(A)/XXVII(2)/2016 दिनांक अगस्त, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

मन्दीय

(10/10/16 गन्याली)
सचिव

संख्या-2332/111(2)/16-06(एमओएलओए)/2015 तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

9. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
10. जिलाधिकारी, चमोली।
11. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, पौड़ी गढ़वाल।
12. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निर्देशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
15. सम्बन्धित अधीक्षण, सातवां वृत्त लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।
16. अधिरासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली।

आज्ञा से,
(10/10/16 गन्याली)
उप सचिव

2380 / 11(2) / 16-06(एमएसएल050) / 2015 दिनांक 3 अगस्त, 2018 का संलग्नक।

कार्य का नाम	लंबाई (किमी० में)	(घनराशि लाख रु में)	
		दिनांश टी०एससी० द्वारा अनुमोदित लागत	भालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही घनराशि।
1 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरसेज के अंतर्गत आदिबड़ी नौटी मोटर मार्ग के खेत गदरे से बुखोली-कंडा-पंडाव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	8.00	137.60	0.10
2 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-कर्णप्रयाग के अंतर्गत कर्णप्रयाग नौटी-पेलाणी मोटर मार्ग से देवलागदसारी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	30.00	0.10
3 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरसेज के अंतर्गत पिण्डवाली से मिदोखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	7.00	95.20	0.10
4 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरसेज में आदिबड़ी नौटी मोटर मार्ग के नगली से डुस्वरीखाल तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	85.00	0.10
कुल	23.00	348.80	0.40

(कुल रु वालीस एंजल मात्र)

(एमएस० पांगती)

उप सचिव